

क्रमांक:- प0 15१33१वन/98

जयपुर, दिनांक

21 JUL 1999

:: अधिसूचना ::

राजस्थान वन उपज परिवहन नियम, 1957 के नियम-2 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक प0 2११११२१ जयपुर-8/73 दिनांक 19-1-91/ के निम्न संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है:-
"परन्तुक यह है कि उक्त छूट श्री राम, सफेद, एके देवी बबूल वन उपज के परिवहन के सम्बन्ध में जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, जैसलमेर तथा जिला जोधपुर के फलोदी तहसील एवं ओसिया, तहसील में लागू नहीं होगी।"

राज्यपाल के आदेश से,

एस० अहमद
राज्यपाल सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १११ निजि सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय, पंचायत राज मंत्री महोदय, राज० सरकार जयपुर।
- ११२ निजि सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राज० जयपुर।
- ११३ हासन सचिव, वन/राजस्व विभाग, निदेशक पंचायत राज० विभाग।
- ११४ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर।
- ११५ संबंधित कलेक्टर्स -----
- ११६ मण्डल वन अधिकारी -----
- ११७ संबंधित पत्रावली ।

लक्ष्मण सिंह
जयपुर हासन सचिव, वन

No. 1746/A

1276
28-7-99

2877